न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 51/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/155

उनवान

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
सुखलाल पुत्र चिमनाजी जाति माली निवासी माताजी वाड़ा तहसील देसूरी जिला पाली राज. हाल शिव आश्रम सादडा, तहसील बाली जिला पाली राज.	बनाम	तहसीलदार देसूरी तहसील कार्यालय देसूरी जिला पाली राज.

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग दिनांक 08.09.2021 को तहसीलदार देसूरी जरिये नामान्तरकरण मोहनलाल पुत्र चिमनाराम अपीलाण्ट के नाम नहीं कर नामान्तरकरण संख्या 742 दिनांक 02.11.2021 तहसीलदार देसूरी द्वारा अस्वीकृत करने के विरुद्ध पेश की गई।

–:निर्णय:–

दिनांक: 21.06.2024

अपीलांट सुखलाल पुत्र चिमना जी ने एक अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सरथुर पटवार हलका बडोद तहसील देसूरी में प्रार्थी अपीलांट व सहखातेदार भाई मोहनलाल की पैतृक कब्जा कास्त की कृषि भूमि आई हुई है। अपीलांट एवं सह खातेदार बड़ा भाई मोहनलाल दोनों सगे भाई होने से बड़ा भाई मोहनलाल पुत्र चिमनाराम जी ने दिनांक 9 अगस्त 2021 को वाद ग्रस्त कृषि भूमि का अपना संपूर्ण हक हिस्सा अपीलांट को जरिए रजिस्टर्ड हक तर्क के उपपंजीयन कार्यालय देसूरी में तर्क किया गया जो कानूनन न्याय संगत है। इस रजिस्टर्ड हक त्याग के दस्तावेज के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा म्यूटेशन संख्या 742 दर्ज किया गया किंतु स्वीकृत कर्ता अधिकारी तहसीलदार देसूरी ने रजिस्टर्ड हक़तर्क का कानूनन बिना जांच किये राजस्व रेकार्ड एवं रजिस्टर्ड हक तर्क विलेख से मिलान नहीं होना दर्शा कर दिनांक 2 नवंबर 2021 को म्यूटेशन संख्या 742 को अस्वीकृत कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश है

अपील अपीलांट सुखा उर्फ सुरेंद्रनाथ की ओर से पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकृत फरमाई जाकर वादग्रस्त भूमि प्रार्थी अपीलांट सुखलाल उर्फ सूखा उर्फ सुरेंद्रनाथ के नाम इंद्राज किए जाने का आदेश विरुद्ध रेस्पॉडेंट स्वीकार फरमाया जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पॉडेंट तहसीलदार देसूरी को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल म्यूटेशन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों क़े अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांट का नाम सुखलाल पुत्र चिमना दर्ज है जबकि रजिस्टर्ड हक त्याग विलेख में सुखा उर्फ सुरेंद्रनाथ पुत्र चिमना जी दर्ज किया गया है। नाम में भिन्नता होने के कारण भू अभिलेख निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि राजस्व रिकॉर्ड एवं रजिस्टर्ड हक़ तर्क विलेख से मिलान नहीं होता है अतः नामांतरण काबिल खारिज हेतु श्रीमान जी की सेवा में पेश है। भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकृत करता अधिकारी तहसीलदार देसूरी ने नामांतरणकरण को अस्वीकृत कर दिया।

अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें सुखलाल माली पुत्र चिमना जी निवासी सरथुर दर्ज है आधार कार्ड जिसमें सकाराम पुत्र चिमनाराम दर्ज है निर्वाचन पहचान पत्र जिसमें सकाराम पुत्र चीमना राम दर्ज है। ग्राम माताजी का वाडा में स्थित अन्य कृषि भूमि की जमाबंदी में जिसमें सुखा पुत्र चिमना दर्ज है एवं स्वयं का नोटरी किया हुआ शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसार सुखलाल, सकाराम व सुखा तीनों नाम अपीलांट के ही है। वर्तमान में साधु होने से नाम सुरेंद्रनाथ पुत्र चिमना है।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सुख लाल, सकाराम एवं सुखा एक ही व्यक्ति है अब वह साधु हो गया है तो उसका नाम सुरेंद्रनाथ है अतः तहसीलदार देसूरी द्वारा

अति. जिला कलक्टर बाली (पाली)

P.T.O

निरस्त किया गया म्यूटेशन सही होने से स्वीकार किया जाना था किंतु अस्वीकृत किया गया अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर उक्त म्यूटेशन 742 को निरस्त कर नियमानुसार स्वीकृत किया जावे।

हमने प्रस्तुत अपील,अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेज, अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड एवं अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस पर विचार करने पर स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने म्यूटेशन स्वीकृत करने में अपीलांट को सुना नहीं जबकि नाम में भिन्नता थी तो अपीलांट को सुनना चाहिए तदनुसार निर्णय किया जाना था। अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर म्यूटेशन संख्या 742 को निरस्त किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देसूरी को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनकर रजिस्टर्ड हकतर्क बाबत म्यूटेशन भरा जावे।

निर्णय सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जावे।पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली, जिला पाली